



2026: AHC: 24901

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - **4496** वर्ष **2026**

रामाश्रय कुशवाहा एवं अन्ययाचिकाकर्तागण

बनाम

सत्य नारायण एवं 4 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: मानवेंद्र नारायण पाठक

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के आलोक में, निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी पक्ष इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन चाहने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 5/उप-जिलाधिकारी, सदर जिला देवरिया को मूल वाद संख्या 2013052011802 में दायर बहाली आवेदन दिनांक 22.10.2023 को शीघ्रता से तय करने का निर्देश दिया जाए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. मामला प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लंबे समय से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका को प्रतिवादी संख्या 5/उप-जिलाधिकारी, सदर जिला देवरिया को उपरोक्त मामले में दायर बहाली आवेदन को कानून के अनुसार सख्ती से और अत्यंत शीघ्रता से, अधिमानतः प्रतिवादी संख्या 5 के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर तय करने का निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है, तथा बिना किसी आवश्यक स्थगन के जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, जे.)

4 फरवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"